उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या- 19/2023/1617/78-1-2023-294/2022
लखनऊ, दिनांक 16 अक्टूबर, 2023

शुद्धि-पत्र

आईटी एवं इले0 अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-18/2023/1502/78-1-2023-294/2022, दिनांक 19-09-2023 द्वारा वित्तीय वर्ष-2023-24 में व्यापार मेलों आदि में प्रतिभाग/प्रस्तुतीकरण, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार मद में प्राविधानित धनराशि रू० 50.00 लाख (रूपये पचास,लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-10 में लिपिकीय त्रुटिवश ''वित्तीय वर्ष 2023-24'' के स्थान पर ''2022-23'' अंकित हो गया है।

2- अत: उक्त शासनादेश दिनांक 19-09-2023 के प्रस्तर-10 में टंकित ''वित्तीय वर्ष 2022-2023'' के स्थान पर ''वित्तीय वर्ष 2023-2024'' पढ़ा जाए। तदनुसार उक्त शासनादेश दिनांक 19-09-2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

नेहा जैन
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उद्योग निदेशक, कानपुर, उ0प्र0।
2. महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. महालेखाकर (लेखा-परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
4. निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।
7. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0,लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-4, योजना भवन लखनऊ।
11. औद्योगिक विकास अनु0-2/ सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3
12. अनु सचिव/नोडल अधिकारी ऑनलाइन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम, आईटी एवंइले0 वि0 उ0प्र0 शासन।
13. आईटी एवं इले0 अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।